ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0–11फ/कैम्प– 8396 लखनऊःदिनांकः 14 मई, 2020

विषयः–प्रदेश में कोविड–19 की महामारी के कारण निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/कैम्प–8177, दिनांक 16.04.2020 जिसके द्वारा प्रदेश में जनपद स्तर पर निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण में कठिनाई के दृष्टिगत पूर्व में कराया गया रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.06.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

2– उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आज दिनांक 14.05.2020 को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2020 को आहूत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के लिए पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 30.06.2020 तक किये जाने की अवधि को 06 माह अर्थात दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रुकुम केश)
महानिदेशक

पत्र सं0–11फ/कैम्प– तददिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, चिकित्सा अनुभाग–1, 5 एवं 6
3. निदेशक(संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0/नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0/नर्सिंग होम ऐसाशिएसन, उ0प्र0–द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(राकेश कुमार)
अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)